# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ, जिला अनूपगढ (राज.)

**पीठासीन अधिकारी :–सुरेश राव (आर.ए.एस.)**

**प्रकरण संख्याः–125 / 2022**

**जी.सी.एम.एस नं.–2022 / 269**

1. सुखप्रीत कौर पत्नी सतपाल सिंह जाति तरखान उम्र–35 वर्ष निवासी वार्ड नं.–24, 24 ए. एस.सी तहसील घड़साना जिला अनूपगढ़ (राज.)
2. जसप्रीत कौर पुत्री सतपाल सिंह उम्र–16 वर्ष
3. पलविन्द्र सिंह पुत्र सतपाल सिंह उम्र–14 वर्ष
4. सिमरनजीत कौर पुत्री सतपाल सिंह उम्र–10 वर्ष––नाबालिगान जरिए कुदरतीवली माता सुखप्रीत कौर पत्नी सतपाला सिंह जाति तरखान उम्र–35 वर्ष निवासी वार्ड नं.–24, 24 ए. एस.सी तहसील घड़साना जिला अनूपगढ़ (राज.)

———**वादीगण**

**बनाम्**

1. जंगीर सिंह पुत्र जीवन सिंह जाति तरखान निवासी 3 एस.टी.आर तहसील घड़साना जिला अनूपगढ़ (राज.)
2. सतपाल सिंह पुत्र जंगीर सिंह जाति तरखान निवासी 3 एस.टी.आर तहसील घड़साना जिला अनूपगढ़
3. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला अनूपगढ़ (राज.)

————**प्रतिवादीगण**

**प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता.**

**वकील उपस्थित–**

1. श्री बलदेव सिंह भगू एडवोकेट – वादीगण की ओर से
2. श्री अनिल कुमार गक्कड़ एडवोकेट – प्रतिवादीगण की ओर से

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2024.12.20 11:55:29 IST
Reason: SelfAttested

**–:: निर्णय ::–** **दिनांकः–28.11.2024**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादीगण सं.–1 द्वारा चक 2 पी.एम तहसील अनूपगढ़ का मु.न.–9 पं.न.–57 / 18 का 3.163 हैक्टर भूमि जो प्रतिवादीगण सं.–1 के नाम से दर्ज है को पैतृक सम्पति होना बतलाकर अपने अधिकारो की घोषणा हेतू यह वाद पत्र प्रस्तुत किया है।

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

वादीगण ने वाद–पत्र उपरोक्त भूमि जीवनसिहं (प्रतिवादीगण सं.–1 के पिता) ने खरीद की थी जिससे प्रतिवादीगण सं.–1 को विरास्तन में यह भूमि प्राप्त हुई है इसलिऐ यह भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति है। वादीगण का 2/3 हिस्सा भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबद किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 की तरफ से श्री अनिल कुमार गक्खड़ एडवोकेट उपस्थित। प्रतिवादीगण संख्या 1 ने **प्रार्थना–पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सीपीसी** पेश कर निवेदन किया कि विवादित भूमि मन प्रतिवादी की स्वअर्जित सम्पति है यानि इस प्रार्थना–पत्र के साथ बैयनामा दिनांक–19.09.2011 की प्रति सलग्नं है जिसके तहत उपरोक्त भूमि स्वयं प्रतिवादीगण सं.–1 द्वारा खरीद की गई है। प्रतिवादी सं.–1 द्वारा उसकी स्वअर्जित सम्पति में से प्रतिवादी सं.–1 के स्वयं के जिवित रहते हुऐ वादीगण का कोई हक अधिकार नंही बनता है। विवादित भूमि मुझ प्रतिवादी की स्वअर्जित सम्पति है ना कि पैतृक सम्पति है। इन परिस्थितियों में प्रतिवादी सं.–1 की स्वअर्जित सम्पति में से प्रतिवादी सं.–1 के जीवनकाल में वादीगण कोई हित/हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी है, ना ही 2/3 हिस्सा प्रतिवादी सं.–1 ने वादीगण को कभी पारिवारिक समझौता में दिया है, ना ही मौका पर वादीगण का कब्जा है इन परिस्थितियों में वादीगण का वाद विधि वर्जित है। कानून के प्रावधानो के तहत भी प्रतिवादी सं.–1 की स्वअर्जित भूमि में से प्रतिवादी सं.–1 के जीवनकाल में वादीगण कोई हित/हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण विधि वर्जित होने से मौजुदा स्टेज पर खारिज फरमाया वादीगण द्वारा उपरोक्त वाद में वर्णित वादाधीन सम्पति को सहदायिक सम्पति बताते हुए वाद पेश किया है लेकिन वाद पत्र के साथ ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नही किया है। जिससे प्रथमदृष्टया उक्त सम्पति सहदायिक सम्पति प्रतीत होती हो वास्तविकता यह है कि उक्त वादाधीन सम्पति प्रार्थी जगीर सिंह की स्वअर्जित, खरीदशुदा, खातेदारी भूमि कृषि है और विवादित भूमि की अप्रार्थीगण सं. –1 रिकॉर्डेड खातेदार टीनेन्ट है। भूमि खरीद के बैयनामा की चित्रप्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। वादीगण का वाद पोषणीय नही है तथा मौजूदा स्तर पर ही काबिल खारिज है। वादीगण का वाद पूर्णतयाः Frivolous एवं न्यायालय प्रक्रिया का दुरूपयोग है जो पोषणीय नही है तथा इसी स्तर पर काबिल खारिज है। उक्त वाद विधि विरूद्ध होने के कारण माननीय न्यायालय मे पोषणीय नही है वादीगण का वाद–पत्र मय हर्जा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2024.12.20 11:55:29 IST
Reason: SelfAttested

उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण/[illegible]गण ने निवेदन किया कि हैं दर्ज भूमि पैतृक सम्पति है चूंकि उक्त तथ्य विधि एवं साक्ष्य का मिश्रित [illegible] है जो पक्षकारो की साक्ष्य के उपरांत ही तय हो सकेगा। महज प्रकरण को अनावश्यक रूप से दरिना करने के लिए झुठे एवं मिथ्या कथनो पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो काबिल निरस्ती के है। वादीगण का वाद पत्र किसी भी दृष्टिकोण से विधि द्वारा वर्जित नंही है। कि प्रतिवादी सं.–1 द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में जो बिन्दू दर्ज किये गये है वह विधि एवं तथ्यो का मिश्रित प्रश्न है जिस सम्बधं में दोनो पक्षो की साक्ष्य आने

कार्यालय उप जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
जिला अनूपगढ़

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

के पश्चात ही तैय किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में वादी का प्रार्थना–पत्र पोषणीय ना होने के कारण काबिल निरस्ती के है। अतःजबाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन कि प्रतिवादी सं.–1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी मय हरजा खर्चा के साथ निरस्त फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अध्ययन किया। प्रार्थीगण के विद्धवान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण 1 ने अपनी मौखिक बहस में प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से निवेदन किया कि वादीगण द्वारा उपरोक्त वाद में वर्णित वादाधीन सम्पति को सहदायिक सम्पति बताते हुए वाद पेश किया है लेकिन वाद पत्र के साथ ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नही किया है। जिससे प्रथमदृष्टया उक्त सम्पति सहदायिक सम्पति प्रतीत होती हो। उक्त वादाधीन सम्पति प्रार्थी जगीर सिंह की स्वअर्जित, खरीदशुदा, खातेदारी भूमि कृषि है और विवादित भूमि की अप्रार्थी सं.–1 रिकॉर्डेड खातेदार टीनेन्ट है। चूंकि पक्षकारान हिन्दू है, जो हिन्दू विधि से शासित होते है। भूमि खरीद के बैयनामा की चित्रप्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। वादीगण का वाद पोषणीय नही है तथा मौजूदा स्तर पर ही काबिल खारिज है। वादीगण का वाद पूर्णतयाः Frivolous एवं न्यायालय प्रक्रिया का दुरूपयोग है जो पोषणीय नही है तथा इसी स्तर पर काबिल खारिज है। उक्त वाद विधि विरूद्ध होने के कारण माननीय न्यायालय मे पोषणीय नही है। वादीगण का वाद–पत्र मय हर्जा मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अतः उक्त विवेचन के क्रम में न्यायालय की राय में पत्रावली में प्रतिवादी सं.–1 विवादित कृषि भूमि जरिए बैयनामा खरीद कि है जो प्रतिवादी सं.–1 की स्वः अर्जित सम्पति है प्रतिवादी सं. –1 अपने जीवन में विवादित सम्पति का पूर्ण व एक मात्र स्वामी है वादी का हस्तगत वाद पूर्णतयाः Frivolous एवं न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग होने के कारण एवं वाद के कारण विधि द्वारा वर्जित होने से न्यायालय के समक्ष पोषणीय नही होने के कारण प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद नामंजूर किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

## –:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण 1) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी स्वीकार जाकर वादीगण का वाद पत्र निरस्त किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Rao
Date: 2024.12.20 11:55:29 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक–28.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उप जिला कलेक्टर * जिला अनूपगढ़ * सत्यमेव जयते

सुरेश राव आर.ए.एस.
सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़